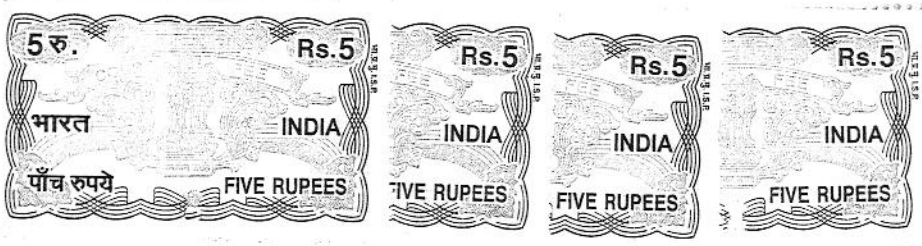

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांकः /15–16/PBR/निगरानी

ओमप्रकाश कुशवाह पुत्र स्व. श्री रामरतन कुशवाह निवासी ऊरवाई गेट आऊखाना कला, ग्वालियर म0प्र0

——— निगरानीकर्ता

बनाम

1– ठाकुरदास कुशवाह पुत्र स्व. श्री बाबू लाल कुशवाह

2– मुनीम ऊर्फ बालासाहब कुशवाह पुत्र स्व. श्री बाबू लाल कुशवाह

3– श्रीकृष्ण कुशवाह पुत्र स्व. श्री बाबू लाल कुशवाह

4– राजकुमार कुशवाह पुत्र स्व. श्री बाबू लाल कुशवाह सभी निवासीगण ऊरवाई गेट आऊखाना कला, ग्वालियर म0प्र0

5– मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर म0प्र0

——— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर पारित प्रकरण कमांक 43/13–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–12–2015 आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

आधार निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4120–पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–1–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी (लश्कर) ग्वालियर के आदेश दिनांक 18–12–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि जब तक व्यवहार न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय से कोई स्थगन अथवा अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही प्रभावित नहीं हो सकती है, और न्यायहित में प्रकरण में सम्पूर्ण जॉच, साक्ष्य एवं सुनवाई आवश्यक है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	